

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)नि.प. 588/86/अलेसे-III/ 9099-9907

दिनांक :- 15/7/2015

आदेश

विभाग के पूर्व आदेश संख्या 26/2011-12 दिनांक 02.05.2011 के क्रम में श्री मूल चन्द माली, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रिंसीपल राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.08.2012 से (कार्मिक विभाग में संयुक्त जाँच प्रकरण विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुए) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था। कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग, जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक प.1(200) कार्मिक/क-3/2009 दिनांक 04-06-2015 द्वारा श्री मूलचन्द माली, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार को इनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण को समाप्त कर इनके निलम्बन अवधि को समस्त परियोजनार्थ सेवाकाल माने जाने के आदेश दिये हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री मूल चन्द माली के विरुद्ध वर्तमान में:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवा नि./अलेसे -III/ 9099-9907

दिनांक :- 15/7/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
3. प्रिंसीपल राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित हो तथा ऐसी कोई शिकायत हो, जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना पेंशन कार्यालय व इस विभाग को भिजवावें ताकि यथासमय उचित कार्रवाई की जा सके।
4. श्री मूल चन्द माली, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार, जवाहर सैकन्दरी स्कूल के पीछे, भीनासर, बीकानेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/डीपीसी शाखा/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।
8. निजी गार्ड फाईल।



(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)